संoसंo 14/विविध-04/2006

बिहार सरकार

स्वास्थ्य एवं पo कo विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार
सरकार के सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव ।
सरकार के सभी सचिव ।
सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
अधीक्षक पीoएमoसीoएचo, पटना ।
सभी सिविल सर्जन ।

पटना, दिनांक : 2/6/06

विषयः-राज्य सरकार के कर्मियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में मार्गदर्शन ।

महाशय,

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से राज्य के अन्दर और बाहर सरकारी अस्पतालों/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गयी अन्तर्वासी और कतिपय चिन्हित रोगों में वहिंवासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की शक्ति स्वास्थ्य एवं पoकo विभाग के संकल्प संo 1070 दिनांक 20.05.2006 द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्रण पदाधिकारी और विभागीय सचिव को प्रत्यायोजित की गई है । इस लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले में एकरूपता बनाये रखने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश/मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है :-

1. अन्तर्वासी चिकित्सा (In Door)-बिहार उपचार नियमावली, 1947 के प्रावधानों और स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र ज्ञाप संख्या-6/1.535-73-1443(6) स्वाo दिनांक 10.06.75 द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों जैसे माता-पिता पति-पत्नी/पुत्र-पुत्री को सरकारी अस्पताल/चिकित्सा केन्द्रों/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गई अन्तर्वासी (In Door)- चिकित्सा के दौरान उन औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति जिसकी

आपूर्ति सरकारी अस्पताल भंडार से नहीं हो पाती है, अनुमान्य है स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 482(14) दिनांक 24.03.2006 द्वारा बिहार उपचार नियमावली के नियम–1 में टिप्पणी–13 जोड़कर सी0जी0एच0एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों को भी सी0जी0एच0एस0 द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान की शर्तों पर अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु मान्यता दी गई है । सी0जी0एच0एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची ई–मेल सं0–http://moh w.nic.in द्वारा डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकेगा ।

2. बहिर्वासी (Out Door) चिकित्सा–स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 5257(24) दिनांक 8.12.94, 666(6) दिनांक 16.5.80 और संकल्प संख्या 1356(24) दिनांक 2.5.2000 (संकल्प की प्रति संलग्न) के द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारी एवं उनके आश्रित सदस्यों को निम्नांकित विशेष रोगों में बहिर्वासी चिकित्सा (Out Door) पर हुए व्यय (संबंधित चिकित्सीय संस्थान में होनेवाली बहिर्वासी चिकित्सा के क्रम में क्रय की जानेवाली औषधियों एवं जाँच पर होनेवाले व्यय) की प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य है :–

(a) यक्ष्मा (T.B)

(b) कैंसर (Cancer)

(c) कुष्ठ (Leprosy)

(d) हृदय की शल्य क्रिया के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय ।

(e) गुर्दा (kidney) प्रत्यारोपन के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय ।

(f) लीवर प्रत्यारोपन के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय पर हृदय की शल्य चिकित्सा एवं गुर्दा प्रत्यारोपन के पूर्व हुई बहिर्वासी चिकित्सा के मामले में सिर्फ यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार अनुमान्य है, जाँच एवं दवा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं । लीवर प्रत्यारोपन के मामले में भी ~~विदेश में जाँच या चिकित्सा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं है ।~~

3. विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच की प्रक्रिया -- विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(I) राज्य के भीतर कराई गई चिकित्सा से संबंधित 20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र तक के दावे सरकारी सेवक द्वारा उसी जिले के सिविल सर्जन को प्रस्तुत किया जायेगा जिस जिले में सरकारी सेवक पदस्थापित/कार्यरत है । सिविल सर्जन द्वारा विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच की जायेगी और विपत्र पर अननुमान्य राशि प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए उसे संबंधित सरकारी सेवक के नियंत्रण पदाधिकारी को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा ।

(II) राज्य के अन्दर कराई गई चिकित्सा से संबंधित 20,000/-- रुपये से उपर के दावे की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जॉच अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना के संयोजकत्व में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की जायेगी । उक्त समिति में पी0एम0सी0एच0, पटना के औषधि एवं शल्य किया विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में रहेंगे । अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0 आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभागाध्यक्ष को इस समिति में विशेष आमंत्रित के रूप में बुला सकेंगे। त्रिसदस्यीय समिति की बैठक सप्ताह में दो बार आहूत की जायेगी । विपत्र जॉचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षर कर संबंधित सरकारी सेवक के प्रशासी विभाग को वापस लौटाया जायेगा ।

(III) राज्य के बाहर कराई चिकित्सा व्यय से संबंधित सभी दावो को भी सरकारी सेवक का प्रशासी विभाग अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना को विपत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धताकी जॉच के लिए भेजेगा, जो उपरोक्त प्रकिया (ii) के अनुसार जॉच कराने के पश्चात विपत्र संबंधित विभाग को वापस लौटायेंगे ।

4. दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रकिया-- दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए निम्नांकित प्रकिया अपनाई जायेगी :--

(i) दावा प्रतिपूर्ति के साथ प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना आवश्यक है ।

(ii) क्रय किये गये औषधियों से संबंधित अभिश्रव/विपत्र संबंधित संस्थान के चिकित्सक के द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित रहने चाहिए ।

(iii) प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र अस्पताल/संस्थान के अधीक्षक/निदेशक द्वारा भी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है

(iv) क्रय की गयी औषधियों से संबंधित कैशमेमो/दवा से संबंधित अस्पताल का पुर्जा की छाया प्रतियां एवं अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी का डिस्चार्ज समरी मूल रूप में प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

(v) स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र सं0 2059(24)दिनांक 27.5.97 (प्रतिलिपि संलग्न)के आलोक मे हृदय रोग के मामले में पेस मेकर लगाये जाने पर पेसमेकर मद में अधिकतम रू0 30,000/-(तीस हजार रुपये) की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

(vi) स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 3800(14) दिनांक 10.12.03 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा नेत्र रोग के मामले मे लेंस इम्प्लान्टेशन के लिए अधिकतम 5000/--रू0(पॉच हजार रूपये) लेंस एवं चिकित्सा दोनो पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा 10,000/--रू0 (दस हजार रूपये) प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित है।

(vii) विटामिन शक्तिवर्धक औषधियों एवं खाद्य पदार्थो मदो पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नही की जायेगी। डिसपोजेबुल मदों की प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य नहीं है ।

5. यात्रा भत्ता–वित्त विभाग के परिपत्र ज्ञापांक AI-116/59/2840 एफ0–दिनांक 16.2.1959 (प्रतिलिपि संलग्न) और बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 130 के नीचे [redacted] लिये गये निर्णय के अनुसार चिकित्सा के प्रयोजनार्थ वायुयान एवं वातानुकूलित रेल यात्रा अनुमान्य नहीं है ।

6. स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम के मॉनिटरिंग की व्यवस्था– संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपये तक चिकित्सा अग्रिम सक्षम पदाधिकारी (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से विभागीय सचिव) द्वारा स्वीकृत किया जाना है । किन्तु स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम को निर्धारित समय–सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अग्रिम के मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासी विभाग और नियंत्रण पदाधिकारी दोनों स्तरों पर की जायेगी ।

7. शीर्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति / चिकित्सा अग्रिम में होनेवाले व्यय का वहन आय–व्यय के उसी शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई "0147 चिकित्सा प्रतिपूर्ति" से होगा जिससे संबंधित सरकारी सेवक अपने वेतन–भत्ते की निकासी करते हैं ।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन

Deepak

(दीपक कुमार)

सरकार के सचिव

m:\HSC\Department\Section-14\SS-14-vivek\04-2006-Medical Reimbursement.doc